आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.12.21	(see below)	

नामांतरण अपील वाद सं0 11/2018–19

कौशल्या देवी वगैरह प्रति अंचल अधिकारी, भवनाथपुर

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के नामांतरण वाद सं0 33/2018–19 में दिनांक 27.10.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया। विज्ञ अधिवक्ता को सूना। तदनुसार उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी भवनाथपुर से मूल अभिलेख की मांग की गयी। उभय पक्ष के द्वारा अपने–अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर एवं कागजात दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

तत्पश्चात् उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण ने निबंधित विक्रय पत्र सं0 555 दिनांक 08.05.2018 को मौजा भवनाथपुर थाना नं0 54 अंचल भवनाथपुर के

खाता सं0 पुराना /नया	प्लौट सं0 पुराना/नया	रकबा	चौहदी
117/159	30/792	0.17	उ0 लल्लु सिंह वगैरह
150/159	31/796	0.21	द0 पारस सिंह
154/159	32/795	0.06	पू0 नन्द किशोर सिंह
			प0 पक्की रोड़
126/159	29/793	0.32	उ0 लल्लु सिंह वगैरह
143/159	33/794		द0 पारस सिंह
143/159	33/794	0.38	पू0 नन्द किशोर सिंह
			प0 पक्की रोड़

की कुल रकबा 1.14 एकड़ भूमि 1 श्री विजय प्रसाद गुप्ता 2 श्री अजय प्रसाद गुप्ता 3 संजय प्रसाद गुप्ता 4 नीरज कुमार गुप्ता पिता स्व0 रामखेलावन साव ग्राम+थाना+अंचल भवनाथपुर से उचित मूल्य देकर क्रय की है एवं उस पर शांतिपूर्ण ढंग से दखल काबिज है। केवाला सं0 555 दिनांक 08.05.2018 के क्रेतागण व बिक्रेतागण आपस में सहोदर भाई बहन है एवं संबधित भूमि का बिक्रीनामा भाईयों ने बहनों के पक्ष में निष्पादित किया है। उपर वर्णित भूमि जो अपीलार्थी ने क्रय की है उसकी ऑफलाईन जमाबंदी ग्राम भवनाथपुर के मांगपंजी 2 के पेज नं0 75/1 पर बिक्रेतागण के पिता स्व0 रामखेलावन साव के नाम पर कायम है। क्रेतागण के पिता स्व0 रामखेलावन साव के नाम पर कायम है। प्रश्नगत् केवाला की भूमि पर बिक्री के समय बिक्रेतागण का दखल कब्जा है।

लगातार ....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	वर्तमान सर्वे का खाता क्रेतागण वो बिक्रेतागण के पिता स्व0 रामखेलावन साव के नाम से बना है। केवाला सं0 555 दिनांक 08.05.2018 की प्रति के साथ एक आवेदन पत्र अपीलार्थी ने विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर के समक्ष ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2018 को दिया। अपीलार्थी को ऑनलाईन यह सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 30.07.2018 को उक्त वाद की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित है। अंचल कार्यालय में संबंधित दस्तावेज दाखिल कर दें। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के यहाँ से ऑनलाईन निर्देश के आलोक में अपीलार्थीगण ने दिनांक 30.07.2018 को अंचल अधिकारी भवनाथपुर में संबंधित दस्तावेज सौंप दिया। विभिन्न तिथियों में विभिन्न तरह के अनावश्यक दस्तावेज की मांग अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के द्वारा अपीलार्थीगण से की गई। जहाँ तक संभव हो सका अपीलार्थीगण ने अंचल कार्यालय में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया। प्रश्नगत् भूमि से संबंधित दस्तावेज अंचल कार्यालय भवनाथपुर में देने के पश्चात् अकस्मात् दिनांक 18.11.2018 को अपीलार्थीगण को सूचना दी गई कि आपका नामांतरण का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थीगण ने अंचल कार्यालय भवनाथपुर में दिनांक 15.06.2018 को नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया था जिसपर दिनांक 27.10.2018 को उक्त हल्का के राजस्व कर्मचारी ने अपना मंतव्य दिया कि आवेदित भूमि का जॉच किया। गत सर्वे प्लौट नं0 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 कुल रकबा 1.77 एकड़ भूमि का ऑफलाईन जमाबंदी रामखेलावन साह पिता त्रिवेणी साह के नाम से कायम था जो भू-अर्जन वाद सं0 35/1973-74 द्वारा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन हेतु अर्जित की गयी है। अर्जित गत सर्वे खेसरा सं0 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 से निर्मित हाल सर्वे खेसरा नामांतरण हेतु आवेदित है। भूमि पर क्रेतागण का दखल कब्जा नहीं है अतः नामांतरण अस्वीकृत की जा सकती है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन का हू-ब-हू प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक ने विद्वान अंचल अधिकारी को दिनांक 27.10.2018 को प्रतिवेदित किया गया एवं विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर ने बिना न्यायिक दृष्टिकोण अपनाए हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए दिनांक 27.10.2018 को ही अपीलार्थीगण का नामांतरण का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जो उचित नहीं है। अतः वह अपास्त करने योग्य है। वास्तव में प्रश्नगत् भूमि पर अपीलार्थीगण का दखल कब्जा है। विद्वान अंचल अधिकारी के समक्ष या उनके कार्यालय में भू-अर्जन वाद सं0 35/1973-74 की कोई अभिलेख मौजूद नहीं है और न ही प्रश्नगत् भूमि कभी भी अर्जित ही की गई है। अतः आदेश अपास्त करने योग्य है। अपीलार्थी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के यहां एक आवेदन दी जिसमें प्रश्नगत् भूमि का नामांतरण में हो रहे बिलम्ब का हवाला देते हुए यह अनुरोध की थी कि भवनाथपुर अंचल में यदि उनकी भूमि को अधिगृहित नहीं की गई है तो उसका सत्यापन प्रतिवेदन अंचल पदाधिकारी, भवनाथपुर को भेजी जाए।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

ी की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर जिला भू–अर्जन शाखा ने अपने पत्रांक 443/भू0 अ0 दिनांक 29.09.2018 के द्वारा अंचल अधिकारी भवनाथपुर को सूचित किया कि जिला भू अर्जन गढ़वा द्वारा अंचल पदाधिकारी भवनाथपुर के किसी भी योजना के लिए भूमि अधिग्रहित नहीं किया गया है तथा वर्तमान में नगर उंटारी से खरौंधी डाला यू0पी0 बॉडर पथ चौड़ीकरण के लिए भूमि अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर के पास भू अर्जन विभाग का पत्र होते हुए भी जानबुझकर अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन पत्र को खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है। अंचल पदाधिकारी, भवनाथपुर ने अपने पत्रांक 517 दिनांक 06.10.2018 को जिला भू अर्जन पदाधिकारी गढ़वा से भू अर्जन 35/1973–74 के अभिलेख की विवरणी की मॉग की है, जिसके संबंध में जिला भू–अर्जन गढ़वा से कोई प्रतिवेदन अंचल कार्यालय भवनाथपुर को प्राप्त नही हुई तो किस आधार पर विद्वान अंचल अधिकारी पदाधिकारी भवनाथपुर ने अपीलार्थी की भूमि को भू–अर्जन विभाग द्वारा अधिग्रहण की बात करते हुए नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर सकते है। विद्वान अंचल पदाधिकारी, भवनाथपुर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलार्थी के आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया है। जो अपास्त करने योग्य है। पूर्व में भी नामांतरण वाद सं0 550/2014–15 में ग्राम भवनाथपुर के खाता सं0 117 प्लौट सं0 30 की भूमि का नामांतरण अपीलार्थी सं0 1 के नाम से उसी मांगपंजी 2 से रकबा घटा कर दिया गया है। उस समय के हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने संबंधित प्लौट की भूमि को लोक निर्माण विभाग की भूमि नहीं बताया है। उक्त तथ्य पर भी विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर ने बिना विचार किए ही नामांतरण को अस्वीकृत किया है जो उचित नहीं है। प्रश्नगत् भूमि का अधिकार का अभिलेख अपीलार्थी के पिता व अपीलार्थी के विक्रेता के पिता के नाम से वर्तमान सर्वे में प्राप्त है जिसका प्रकाशन वर्षो पूर्व हो चुका है। उक्त खतियान की प्रति अंचल कार्यालय भवनाथपुर में भी है। उक्त अधिकार के अभिलेख को चुनौती विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर या राज्य सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने सक्षम न्यायालय में नहीं की है। लोक दस्तावेज में वर्णित तथ्यों की अवहेलना करते हुए काल्पनिक दस्तावेज के आधार पर विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर ने अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया है एवं सरकारी अभिलेख में वर्णित तथ्यों की अवहेलना कर अपने को लोक सेवक की जगह शासक होने का परिचय भी दिया है जबकि यह विधि का स्थापित नियम है कि राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टि की मान्यता संबंधित दाखिल खारिज करने वाले अधिकारी को देनी है। यदि भूमि वर्ष 1973–74 में अधिग्रहित की गई होती तो आज उस भूमि का अधिकार अभिलेख संबंधित रैयत के नाम नहीं बनता अतः विद्वान अंचल अधिकारी का आदेश अपास्त करने योग्य है। लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दी गई साक्ष्य निम्न प्रकार है :–

1. *बिक्रय पत्र सं0 555 दिनांक 04.05.2018 .... 32 फर्द*
2. *मांगपंजी 2 की छायाप्रति .... 1 फर्द*
3. *ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति .... 1 फर्द*
4. *ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति .... 1 फर्द*
5. *हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति .... 1 फर्द*
6. *जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 443/भू0अ0 दिनांक 29.09.2018 की छायाप्रति .... 1 फर्द*
7. *कौशल्या देवी के आवेदन पत्र की छायाप्रति .... 2 फर्द*
8. *नामांतरण वाद सं0 550/2014–15 का अभिलेख का छायाप्रति .... 7 फर्द*

इस वाद के संबंध में इस न्यायालय के पत्रांक 76 दिनांक 17.12.2018 के द्वारा अंचल अधिकारी भवनाथपुर से नामांतरण वाद सं0 33/2018–19 का मूल अभिलेख की मांग की गई। जो अंचल अधिकारी भवनाथपुर के पत्रांक 497 दिनांक 10.10.2019 से प्राप्त हुआ है। इस न्यायालय के पत्रांक 131/रा0 दिनांक 05.03.2021 के आलोक में अंचल अधिकारी भवनाथपुर द्वारा पत्रांक 96 दिनांक 12.03.2021 से राजस्व उपनिरीक्षक को निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर प्रश्नगत् भूमि का राजस्व कागजात एवं साक्ष्य दाखिल किया गया। दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :–

1. *जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पलामू के पत्रांक 11/भू0 अ0 दिनांक 09.01.2019 .... 1 फर्द*
2. *जिला भू–अर्जन कार्यालय गढ़वा जिला को प्राप्त कराए गये अभिलेख संचिका की सूची .... 3 फर्द*
3. *अंचल कार्यालय भवनाथपुर के पत्रांक 28 दिनांक 11.01.2019 जिला भू–अर्जन गढ़वा को भेजा गया पत्र .... 1 फर्द*

इस वाद के निष्पादन हेतु इस न्यायालय के पत्रांक 132/रा0 दिनांक 05.03.2021 द्वारा भू–अर्जन वाद सं0 35/1973–74 का अभिलेख की छायाप्रति उपलब्ध कराने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था के परिप्रेक्ष्य में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 150/भू0अ0 दिनांक 07.04.2021 द्वारा वाद से संबंधित अभिलेख नहीं है से संबंधित पत्र प्राप्त है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता की ओर से दाखिल साक्ष्य एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरांत पाया कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 443 दिनांक 29.09.2018 द्वारा पत्र में दिया गया है कि पूर्व में भवनाथपुर अंचल के किसी भी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है, तथा वर्त्तमान में नगर उंटारी–खरौंधी–डाला (यू0पी0 बार्डर) पथ चौड़ीकरण के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। अंचल अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामूँ के पत्रांक 11/भू0अ0 दिनांक 09.01.2019 पत्र दाखिल की गई है, दाखिल पत्र में स्पष्ट नहीं कि उक्त वाद में प्रश्नगत भूमि

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सन्निहीत है अथवा नहीं। इसके संदर्भ मे जिला भू–अर्जन गढ़वा द्वारा भी भू–अर्जन वाद सं0 35/1973–74 कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, से संबंधित प्रतिवेदित है। अंचल अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में अपने स्तर से जॉच नहीं किया क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का अपीलार्थीगण के पिता के नाम से हालसर्वे खतियान बना है तथा सालों–साल ऑफलाईन एवं ऑन लाईन लगान रसीद भी कटता चला आ रहा है। अतः उक्त प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल दस्तावेज एवं साक्ष्य के आलोक में अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के नामांतरण वाद सं0 33/2018–19 में दिनांक 27.10.2018 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी के आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी भवनाथपुर को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित 21/XII/22 उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर। 21/XII/22 उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर।	

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.14 13:17:19 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner